फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की प्रार्थना 212 RTA पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना 212 RTA स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 77/2012
निर्णय दिनांक : 03.02.2025

उनवान

रणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री नेता जाति मीणा, नि० ग्राम चैनपुरा, तह० सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
3. शंकरलाल पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
4. श्रीमती धापू धर्मपत्नी स्व. श्री धन्नाराम

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. विजय सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दाराम
6. कैलास पुत्र स्व. श्री चंदाराम.
7. श्रीमती सोनी बेवा स्व. श्री चन्दाराम
8. श्रीमती सावित्री देवी बेवा स्व. श्री रामफूल

   समस्त जाति मीणा, नि० ग्राम चैनपुरा, तह० सांगानेर, जिला जयपुर।
9. राकेश पुत्र रामफूल, आयु 16 वर्ष, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता श्रीमती सावित्री देवी बेवा स्व. श्री रामफूल, जाति मीणा, निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
10. नरेश पुत्र रामफूल, आयु 12 वर्ष, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता श्रीमती सावित्री देवी बेवा स्व. श्री रामफूल, जाति मीणा, निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
11. गंगाराम पुत्र स्व. श्री नेता जाति मीणा, नि० ग्राम चैनपुरा, तह० सांगानेर, जिला जयपुर।
12. लालाराम पुत्र स्व. श्री नेता (मृतक दौराने वाद)

    12/1. मोहनलाल पुत्र स्व० श्री लालाराम

    12/2. श्रीमती रामा बेवा स्व० श्री लालाराम

    समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।
14. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

अप्रार्थीगण

दावा इस्तकरार हक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जाब्ता दीवानी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा दावा इस्तकरार हक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी/वादी को सफलता की पूर्ण संभावना है। वाके ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.02 हैक्टे0, 293 रकबा 0.65 हैक्टे0, 299 रकबा 0.38 हैक्टे0, 300

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

18 हैक्टे0 301 रकबा 0.03 हैक्टे0, 302 रकबा 0.59 हैक्टे0 303 रकबा 0.08 हैक्टे0 304 39 हैक्टे0, 305 रकबा 0.90 हैक्टे0, 306 रकबा 0.01 हैक्टे0, 308 रकबा 0.58 हैक्टे0, ब्बा 0.46 हैक्टे० तथा 289/370 रकबा 0.55 हैक्टे० कुल किता 13 रकबा 5.14 हैक्टे० ाम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, स्थित भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.10 हैक्टे0, 1382 रकबा 0.04 हैक्टे0, 699 रकबा 0.60 हैक्टे0, 506 रकबा 0.01 हैक्टे0 व 507 रकबा हैक्टे0 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री भौंर्या पुत्र डालू की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। राजस्व भू–अभिलेखों में श्री भौंर्या का नाम दार कृषक के रूप में दर्ज था। उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा ग्राम चैनपुरा, तहसील ानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.09 हैक्टे0, 287 रकबा 0.01 हैक्टे०, रकबा 0.54 हैक्टे0, 289 रकबा 0.18 हैक्टे0, 304/371 रकबा 0.33 हैक्टे० व 307 रकबा 0. हैक्टे० भौंर्या पुत्र डालू मीणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, जो भौंर्या का र्गवास हो जाने के पश्चात् स्व. श्री नेता के नाम राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित की गई। र्या पुत्र डालू मीणा का स्वर्गवास हो जाने पर उपरोक्त वर्णित भूमि श्री नेता के नाम अंकित हो ई जबकि उक्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि होने की वजह से नेता के जीवनकाल में भी नेता पांचों पुत्र स्व. श्री धन्नाराम, स्व. श्री चन्दा, गंगाराम व लालाराम तथा रणजीत सिंह उक्त भूमि खातेदार कृषक थे। उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि स्व. श्री नेता पुत्र भौं तथा स्व. श्री धन्नाराम, व. श्री चन्दा, गंगाराम, लालाराम व प्रार्थी रणजीत सिंह की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। श्री नेता ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों के मध्य भूमि विवादग्रस्त का पारिवारिक बंटवारा कर दिया जिसके पश्चात वर्ष 1995 में श्री नेता का स्वर्गवास हो और स्व. श्री धन्नाराम, स्व. श्री चन्दा, गंगाराम, लालाराम व प्रार्थी रणजीत सिंह बहिस्सा बराबर उक्त सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक हुए और नेता के उपरोक्त वर्णित पांचों पुत्र अपने–अपने हिस्से की भूमि पर पृथक–पृथक काबिज रहकर काश्त करते रहे परन्तु राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त सम्पूर्ण भूमि पहले नेता पुत्र भौंर्गा के नाम तथा नेता के स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त वर्णित पांचों भाईयों के नाग बहिस्सा बराबर अंकित कर दी गई। श्री चन्दा पुत्र स्व. श्री नेता का दिनांक 2–3–2004 को स्वर्गवास हो गया। स्व. श्री चन्दा के तीन पुत्र विजय सिंह, रामफूल व कैलाश तथा श्रीमती सोनी धर्मपत्नी स्व. श्री चन्दा हुए। श्री रामफूल पुत्र चन्दा का भी स्वर्गवास हो गया, अप्रार्थी संख्या 8, 9 व 10 स्व. श्री रामफूल के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। श्री धन्नाराम पुत्र नेता मीणा का भी दिनांक 15–2–2006 को स्वर्गवास हो गया, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 मृतक स्व. श्री धन्नाराम के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। ग्राम चैनपुरा तथा ग्राम सवाई गैटोर स्थित उपरोक्त वर्णित भूमि का श्री नेता के जीवनकाल में ही जिस प्रकार से पारिवारिक बंटवारा होकर पांचों भाई तथा उनके परिवारजन काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं उसे वाद पत्र के परिशिष्ट क में दर्शायी गया है। श्री धन्ना पुत्र स्व. श्री नेता भीणा के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के परिवार के मध्य जो सामंजस्य पूर्व में था वह कायम नहीं रह सका और कई बार छोटी–छोटी बातों पर आपसी मनमुटाव रहने लगा है और इसलिये अब प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे उपरोक्त वर्णित संयुक्त कृषि जोत का सहकृषकों के मध्य हो रहे उपरोक्त वर्णित आपसी विभाजन के आधार पर अंतिम रूप से विभाजन करा लें ताकि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भविष्य में स्व. श्री नेता के उपरोक्त वर्णित पांचों पुत्रों के परिवारजन के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना रहे और सभी परिवारजन अपने–अपने हिस्से में आई भूमि का अपनी–अपनी इच्छानुसार काश्त कर उपयोग एवं उपभोग कर सकें और एक–दूसरे के हिस्से में आने वाली भूमि पर कोई दूसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सके। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 286 लगायत 289, 304/371 व 307 यद्यपि राजस्व भू–अभिलेखों में नगर विकास न्यास के नाम अंकित कर दी गई है परन्तु वास्तव में उक्त भूमि कभी अवाप्त नहीं की गयी है। ना तो कभी स्व. श्री नेता पुत्र भौर्या अथवा स्व. श्री धन्नाराम, स्व. श्री चन्दा, गंगाराम, लालाराम व रणजीत सिंह को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा अदा किया गया और ना ही उक्त भूमि का कब्जा कभी राज्य सरकार अथवा नगर विकास न्यास ने लिया उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट में अंकित व्यक्ति अपने–अपने हिस्से की भूमि पर तन्हा काबिज रहकर उसका उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं, जैसाकि ऊपर अंकित किया जा चुका है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 से दिनांक 22–04–2012 को उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि का विधिवत विभाजन कर पृथक–पृथक खाते कायम करा लिये जाने का अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 इससे साफ इनकार हो गये और इसी से प्रार्थी को वाद कारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक होने पर प्रार्थी ने नियमानुसार इस्तकरार हक, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात से भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिकार स्पष्ट ना होने तथा राजस्व भू–अभिलेखों में शेष भूमि विवादग्रस्त संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण अब अप्रार्थीगण, भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप कर प्रार्थी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हें कोइ अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी भूमि विवादग्रस्त का खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप करें अथवा प्रार्थी को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कोई कार्यवाही करें परन्तु फिर भी वे येनकेन प्रकारेण प्रार्थी को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर जबरन कब्जा करने तथा भूमि विवादग्रस्त को अन्यत्र हस्तान्तरित कर देने पर आमादा हो रहे हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कुत्सित उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को एक ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित हो जावेगी कि जिसकी क्षतिपूर्ति वाद में सफलता प्राप्त होने पर भी संभव नहीं हो सकेगी । भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टा वाद है, राजस्व भू–अभिलेखों में प्रार्थी का नाम खातेदार कृपक के रूप में दर्ज है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। न्यायहित में आवश्यक है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें तथा प्रार्थी को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें और मौजूदा स्थिति यथावत बनाये रखें । अतः आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे दावे में अंतिम निर्णय होने तक भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त तथा उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें, प्रार्थी/वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की कोई कार्यवाही

ना करें, भूमि विवादग्रस्त को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की कार्यवाही ना स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें और मौजूदा स्थिति यथावत बनाये रखें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। दिनांक 30.01.2018 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 08.07.2024 को बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी सुनी गयी। संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल मिसल है।

पत्रावली में बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वे दावे में अंतिम निर्णय होने तक भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त तथा उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें, प्रार्थी/वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना करें, भूमि विवादग्रस्त को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की कार्यवाही ना स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें और मौजूदा स्थिति यथावत बनाये रखें ।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वाके ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.02 हैक्टे0, 293 रकबा 0.65 हैक्टे0, 299 रकबा 0.38 हैक्टे0, 300 रकबा 0.48 हैक्टे0 301 रकबा 0.03 हैक्टे0, 302 रकबा 0.59 हैक्टे0 303 रकबा 0.08 हैक्टे0 304 रकबा 0.39 हैक्टे0, 305 रकबा 0.90 हैक्टे0, 306 रकबा 0.01 हैक्टे0, 308 रकबा 0.58 हैक्टे0, 309 रकबा 0.46 हैक्टे० तथा 289/370 रकबा 0.55 हैक्टे० कुल किता 13 रकबा 5.14 हैक्टे० तथा ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, स्थित भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.10 हैक्टे0, 684/1382 रकबा 0.04 हैक्टे0, 699 रकबा 0.60 हैक्टे0, 506 रकबा 0.01 हैक्टे0 व 507 रकबा 0.18 हैक्टे0 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री भौंर्या पुत्र डालू मीणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.09 हैक्टे0, 287 रकबा 0.01 हैक्टे०, 288 रकबा 0.54 हैक्टे0, 289 रकबा 0.18 हैक्टे0, 304/371 रकबा 0.33 हैक्टे० व 307 रकबा 0.06 हैक्टे० भौंर्या पुत्र डालू मीणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, जो भौंर्या का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् स्व. श्री नेता के नाम राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित की गई।नेता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी हिस्से की भूमि का विधिक बटवारा अपने 5 पुत्रो में कर दिया जो अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त करते रहे। परन्तु भू– अभिलेखो में उक्त भूमि पहले नेता पुत्र भैरया के नाम तथा नेता के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त वर्णित पांचों भाइयों के नाम बहिरसा बराबर अंकित कर दी गयी। चन्दा पुत्र स्व. नेता के स्वर्गवास के पश्चात स्व. चन्दा के तीन पुत्र विजय सिंह, रामफूल व कैलाश तथा सोनी धर्मपत्नी स्व. चन्दा हुए। रामफूल पुत्र चन्दा का भी स्वर्गवास हो गया, अप्रार्थी संख्या 8, 9 व 10 स्व. श्री रामफूल के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। श्री धन्नाराम पुत्र नेता मीणा का भी स्वर्गवास हो गया, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 मृतक स्व. श्री धन्नाराम के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। धन्ना

पुत्र स्व. श्री नेता भीणा के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के परिवार के मध्य जो सामंजस्य पूर्व में था वह कायम नहीं रह सका और कई बार छोटी–छोटी बातों पर आपसी मनमुटाव रहने लगा है खसरा नम्बर 286 लगायत 289, 304/371 व 307 जो राजस्व भू–अभिलेखों में नगर विकास न्यास के नाम अंकित कर दी गई है परन्तु वास्तव में उक्त भूमि कभी अवाप्त नहीं की गयी है। ना तो कभी स्व. श्री नेता पुत्र भौर्या अथवा स्व. श्री धन्नाराम, स्व. श्री चन्दा, गंगाराम, लालाराम व रणजीत सिंह को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा अदा किया गया और ना ही उक्त भूमि का कब्जा कभी राज्य सरकार अथवा नगर विकास न्यास ने लिया उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट में अंकित व्यक्ति अपने–अपने हिस्से की भूमि पर तन्हा काबिज रहकर उसका उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं प्रार्थी द्वारा विवादित भुमि का विधवत विभाजन कराने को कहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 ने साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया वादग्रस्त भुमि का जब तक विधिवत बटवारा नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके वाके ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.02 हैक्टे0, 293 रकबा 0.65 हैक्टे0, 299 रकबा 0.38 हैक्टे0, 300 रकबा 0.48 हैक्टे0 301 रकबा 0.03 हैक्टे0, 302 रकबा 0.59 हैक्टे0 303 रकबा 0.08 हैक्टे0 304 रकबा 0.39 हैक्टे0, 305 रकबा 0.90 हैक्टे0, 306 रकबा 0.01 हैक्टे0, 308 रकबा 0.58 हैक्टे0, 309 रकबा 0.46 हैक्टे० तथा 289/370 रकबा 0.55 हैक्टे० कुल किता 13 रकबा 5.14 हैक्टे० तथा ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, स्थित भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.10 हैक्टे0, 684/1382 रकबा 0.04 हैक्टे0, 699 रकबा 0.60 हैक्टे0, 506 रकबा 0.01 हैक्टे0 व 507 रकबा 0.18 हैक्टे0 व वाके ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.09 हैक्टे0, 287 रकबा 0.01 हैक्टे०, 288 रकबा 0.54 हैक्टे0, 289 रकबा 0.18 हैक्टे0, 304/371 रकबा 0.33 हैक्टे० व 307 रकबा 0.06 हैक्टे० में जब तक दावे में अंतिम निर्णय विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि अंतिम निर्णय होने तक विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त तथा उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, प्रार्थी को वेदखल करने की कोई कार्यवाही नही करे ना ही किसी अन्य से करावें। हस्तान्तरित ना करे ना ही किसी अन्य से करावे वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर